न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3029–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–8–14 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला बैतूल म0प्र0 प्रकरण कमांक 44/अ–68/2013–14.

रामकिशोर प्रजापति आ0श्री उमराव प्रजापति
निवासी ग्राम झगड़िया तहसील व जिला बैतूल म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल
2–फील्ड ऑफिसर रेशम अधिकारी
शासकीय रेशम केन्द्र हीरापुर
तहसील व जिला बैतूल म0प्र0
तहसीलदार बैतूल
तहसील व जिला बैतूल म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.के.अग्रवाल, शास.अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/12/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश 21–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि मौजा नजूल बैतूल स्थित भूमि सर्वे कमांक 325,

319 एवं 324 में से रकबा 4.000 वर्गफीट पर ईट का भट्टा लगाकर आवेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ–68/13–14 दर्ज कर दिनांक 5–2–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये गये । इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर दिनांक 21–8–2014 को बेदखली आदेश की सूचना आवेदक को दी गई । इसी बेदखली आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई के अवसर दिये बेदखली का आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक लगभग पिछले 30 वर्षो से अनावेदकगण की जानकारी में कुम्हार का धंधा प्रश्नाधीन भूमि पर कर रहा है, जिसे अनदेखा कर आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा स्वीकृति के आधार पर आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत नहीं की जाकर आवेदक को जारी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो प्रचलन योग्य ही नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–9–2014 को संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारित किया गया

है, उक्त आदेश को आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 5–2–2014 के पालन में तहसीलदार द्वारा बेदखली आदेश की सूचना दिनांक 21–8–2014 को आवेदक को दी गई है अर्थात् तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 5–2–2014 के पालन में कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली की सूचना संबंधी आदेश दिनांक 21–8–2014 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर